दिनांक–17.10.2017 को जिला पदाधिकारी, लखीसराय की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति – यथापंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा स्वागत किया गया, तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

उप विकास आयुक्त, लखीसराय द्वारा बताया गया कि सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, (मनरेगा) को विभाग में बुलाया गया है, जिसके कारण आज की बैठक में ये उपस्थित नहीं हुए हैं।

(1) मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की समीक्षा के क्रम में जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, हलसी द्वारा सात निश्चय योजना का प्रगति प्रतिवेदन ऑनलाइन अपडेट नहीं किया जाता है। निदेश दिया गया कि प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के शुरूआत में ऑनलाइन अपडेट करना सुनिश्चित करें। इसके साथ हीं सभी पंचायतों के सभी वार्ड में वार्ड सभा कराना भी सुनिश्चित किया जाय। उक्त वार्ड सभा के द्वारा अन्य सभी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण भी किया जाएगा।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखीसराय ने कहा कि लखीसराय प्रखंड में एक जगह सचिव के चयन में हंगामा हुआ है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि जहां जान बूझ कर ग्रामीण राजनीति के चलते हंगामा किया जाता है, उस संदर्भ में प्रतिवेदित करें। यदि गतिरोध नियमसंगत है तो ठीक है अन्यथा गतिरोध का वजह क्या है, के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जो समय एवं स्थान निर्धारित है , वहां वार्ड. सभा हो जाना चाहिए। यदि 50 प्रतिशत लोग भी उपस्थित होते हैं तो वार्ड सभा मान्य होगा। इसके साथ हीं चयनित वार्ड का खाता भी खोलते जाएं।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा ने बताया कि सूर्यगढ़ा प्रखंड में सहायक अभियंता नहीं है एवं कोई तकनीकि पदाधिकारी भी नहीं हैं, जिसके कारण तकनीकि स्वीकृति प्राप्त करने में कठिनाई होती है। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि लखीसराय जिला में स्थित सभी लाईन डिपार्टमेंट के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की सूची उनके मोबाईल नंबर के साथ विभागवार तैयार कर प्रस्तुत किया जाय। किसी भी प्रखंड का प्रगति संतोषजनक नहीं है, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अगली बैठक में प्रगति में सुधार लाना सुनिश्चित करें।

➢ हर घर नल का जल के समीक्षा के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, चानन ने बताया कि उनके यहां 10 पंचायत हैं, जहां पी0एच0ई0डी0 के द्वारा इस योजना का कार्य किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़चौक ने बताया कि उनके यहां 02 वार्ड में प्राक्कलन तैयार करने का कार्य हो गया है। हलसी, पिपरिया, बड़हिया, लखीसराय के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं होने की बात बताया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि हर घर नल का जल अंतर्गत 12 तरह का प्राक्कलन दिया गया है, कौन सा प्राक्कलन किस वार्ड के लिए उपयुक्त है, यह आपको सुनिश्चित करना होगा। जहां मॉडल प्राक्कलन से कार्य नहीं हो पा रहा है, वहां पी0एच0ई0डी0 के कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता से प्राक्कलन तैयार कराना सुनिश्चत करें। माह नवंबर, 2017 तक सभी प्रखंडों में तकनीकि स्वीकृति प्राप्त कर लेने का अचूक रूप से प्राप्त कर लेने का निदेश भी दिया गया है।

(2) <u>इंदिरा आवास</u> :– जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वैसे लाभुक जिनके द्वारा इंदिरा आवास के निर्माण हेतु राशि प्राप्त की गई है, परन्तु उनके द्वारा अभी तक अवास का निर्माण नहीं किया गया है, वैसे लाभुकों के विरूद्ध नीलाम–पत्र वाद दायर किया जाना है। अंचल अधिकारी वैसे लाभुकों के विरूद्ध नीलाम पत्र दायर करेंगे। इसके पूर्व लाभुकों को नोटिश निर्गत करते हुए नोटिश का तामिला कराया जाय। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा द्वारा बताया गया कि ऐसे सभी लाभुकों को नोटिश दिया गया है। बुधौली बनकर पंचायत में लगभग 90 प्रतिशत लाभुक राशि लेकर घर नहीं बनाए हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन के आधार पर लाभुक यदि 50

प्रतिशत राशि प्राप्त कर लिया है एवं कार्य नहीं किया हो, आधा–अधूरा कार्य किया हो तो उनके विरूद्ध निलाम पत्र दायर कर राशि वसूली किया जाय। सभी इंदिरा आवास सहायकों को पंचायत में रह कर आवास पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। पिछले माह से अब तक सभी प्रखंडों में आंशिक सुधार हुआ है, जो संतोषप्रद नहीं है। इसमें सुधार लाना सुश्चित किया जाय। इसके साथ हीं प्रखंडवार लक्ष्य, प्रदत्त स्वीकृति, प्रथम किस्त एवं द्वितीय किश्त प्राप्त, लाभुकों के संदर्भ में विस्तृत प्रतिवेदन पंचायत वार तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(3) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :– PMAY (G) के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी प्रखंडों में लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत लाभुकों के खाते के सत्यापन के पश्चात सभी लाभुकों को प्रथम किश्त/द्वितीय किश्त उपलब्ध नहीं कराया गया है। सभी प्रखंडों में कुछ न कुछ अंतर है। निदेश दिया गया कि अगले माह में ये अंतर प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। यदि अंतर है तो इसका प्रत्यक्ष कारण होना चाहिए अन्यथा आपके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से पृच्छा किया गया कि क्या उनके प्रखंड में कोई ऐसे लाभुक हैं, जो सरकार से प्राप्त 1.20 लाख रूपया के पश्चात कुछ अपना राशि लगाकर इंदिरा आवास बना सकते हैं। यदि ऐसा कोई लाभुक है, तो उन्हें प्रेरित करें, जिन्हें जिले के मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जाय। प्रायः देखा जा रहा है कि किसी भी प्रखंड में बिचौलिया, बैंक, मुखिया, इंदिरा आवास सहायक पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अनियमितता का साक्ष्य शनैः–शनैः मिलेगा, अतः कार्रवाई प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

(4) स्वच्छ भारत मिशन :– समीक्षा के क्रम में जिला समन्वय, जिला जल स्वच्छता समिति, लखीसराय द्वारा बताया गया कि लखीसराय एवं पिपरिया के कुल 15 पंचायतों के 60 स्वच्छता ग्राहियों का प्रशिक्षण हो गया है। पिपरिया प्रखंड के 05 पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य है। निदेश दिया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त सभी स्वच्छता ग्राहियों से संबंधित पंचायतों में कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाय। माह नवंबर तक 15 पंचायतों का कार्य पूर्ण होना चाहिए। उक्त 15 पंचायतों के लिए समय–सीमा निर्धारित करना होगा। उक्त स्थल पर बिजली, पानी एवं खाने की व्यवस्था आवश्यक रूप से उपलब्ध करानी होगी। जिला स्तरीय पदाधिकारी निरिक्षण के क्रम में उक्त स्थत पर अवश्य जाएंगे।

सभी स्वच्छताग्राही अपने घर को छोड़कर पंचायत में हीं किसी निर्धारित स्थान पर रह कर सभी गतिविधियां संचालित करेंगे। इसका कार्यक्रम अविलंब तैयार करें। इसके लिए साप्ताहिक लक्ष्य तैयार करनी होगी। बी0पी0एम0यू0 की बैठक में जो उपस्थित नहीं होते हैं, उनका रिपोर्ट करें। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को बताया गया कि इस योजना के आई0ई0सी0 मद में आप सभी को प्रचार–प्रसार करने के लिए 10 हजार रूपया व्यय करने का पूर्ण रूपेण अधिकार है। लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के वेबसाईट पर विभागीय सभी पत्र, निर्देश, मॉडल इत्यादि उपलब्ध हैं, उसे निकालकर पढ़ें।

छठ के त्यौार पर वैसे कुछ घाट का चयन करें जहां छठव्रती अर्घ्य देने जाते हैं। उन स्थलों का साफ–सफाई कर एक मंच बनवाएं, जहां अर्घ्य के पश्चात छठ व्रतियों से स्वच्छता हेतु, शौचालय निर्माण हेतु शपथ दिलाने का कार्यक्रम सुनिश्चित करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी, चानन के द्वारा अनुरोध किया गया कि जो परिवार शौचाल का निर्माण नहीं करते हैं, उन्हें उनके सरपंचय के द्वारा नोटिश भिजवाया जाय। जिला पदाधिकारी द्वारा भी ऐसा करने हेतु निदेश दिया गया।

(5) सामाजिक सुरक्षा :– पृच्छा के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत पेंशन योजना की स्थिति सामान्य है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वैसे लाभुक जिनका खाता जन–धन खाता के तहत खोला गया है, उन्हें बचत खाता में परिवर्तित करना आवश्यक है, क्योंकि वित्तीय वर्ष में कुल पेंशन की राशि के बराबर राशि जन–धन के खाते में जमा नहीं हो सकेगा। निदेश दिया गया कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए छठ से पहले सभी पेंशनधारियों के खातें में पेंशन निर्गत हो जाना चाहिए।

(6) **अन्यान्य** :– स्वास्थ्य मिशन के कुष्ठ रोग पदाधिकारी ने बताया कि कुष्ठ योजना के तहत लखीसराय जिला में कुल 104 कुष्ठ रोगी हैं, जिनमें से 08 लाभुकों को इस योजना के तहत राशि मिल रहा है। एक फर्जी कुष्ठ रोगी की सूचना प्राप्त हुई है, जिसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

➢ प्रखंड विकास पदाधिकारी, चानन ने बताया कि प्रखंड कल्याण पदाधिकारी प्रखंड कभी नहीं जाते हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि आपके प्रखंड में बॉयोमैट्रिक सिस्टम लगी है। बॉयोमैट्रिक सिस्टम से सभी को उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

➢ पूर्व की बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से अग्रिम भ्रमणी प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया था, परन्तु किन्हीं के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। अग्रिम भ्रमणी के अनुसार निरिक्षण प्रतिवेदन में टिपण्णी के साथ–साथ निदेश अवश्य होनी चाहिए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार भ्रमण के दौराण प्रत्येक सप्ताह किसी एक पंचायत का विस्तृत निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अंत में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को इमानदारी, कठिन परिश्रम के साथ कार्य सम्पादन करने, बैठक में सभी संबंधित विभाग को बुलाने एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने–अपने लैपटॉप एवं अद्यतन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने का निदेश देते हुए सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

जिला पदाधिकारी
लखीसराय।

ज्ञापांक– 334 /वि०, दिनांक– 06.11.2017

प्रतिलिपि :– जिला स्तर के सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/11/17

जिला पदाधिकारी
लखीसराय।